

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-03/विविध-16-25/2019

567

न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-27/9/19

नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) AMRUT योजना, DAY-NULM योजना एवं स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत समय-समय पर विभाग द्वारा नगर निकायों को RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है

2. भारत सरकार के संबंधित योजनाओं के मिशन निदेशक द्वारा सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत योजनाओं की राशि का अंतरण PFMS के माध्यम से करने का निदेश दिया गया है।


3. तदालोक में विभाग के स्तर से संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राशि का अंतरण PFMS के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारत सरकार के PFMS Cell ललित भवन, पटना के अधिकारियों द्वारा विभाग एवं नगर निकायों के अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

4. विभागीय स्तर पर भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि PFMS के माध्यम से अंतरित करने हेतु श्री सौरभ शर्मा, PFMS विशेषज्ञ को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक-एक विशेषज्ञ को निम्नवत् प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	विशेषज्ञ कर्मी का नाम	पदनाम	योजना का नाम
1.	श्री मुकेश कुमार	विशेषज्ञ, SLTC	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी),
2.	श्री रवि रंजन	विशेषज्ञ, SBM	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
3.	श्री आशीष कुमार	विभागीय प्रशाखा-11 के डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	स्मार्ट सिटी मिशन
4.	श्री मनीष कुमार	MIS EXPERT, PDMC	AMRUT योजना
5.	श्री मनोज कुमार	डाटा इण्ट्री ऑपरेटर, PMC NULM	NULM योजना


5. उपरोक्त सभी नामित पदाधिकारियों/कर्मी अपने-अपने योजनाओं का PFMS में रजिस्ट्रेशन तथा नगर निकायों के बैंक खातों से मैपिंग का कार्य करेंगे।

6. भारत सरकार के PFMS Cell के अधिकारियों द्वारा उन्हें दिनांक-27.09.19 को अपराह्न 3:00 बजे विभाग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतः सभी नामित कर्मी/ विशेषज्ञ निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित कार्यों का सम्पन्न करेंगे।


(इन्दु कमारी),

विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/विविध-16-25/2019 2684 दिनांक- 27-09-19
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/संबंधित विशेषज्ञ/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।